

फर्द अहकाम

(नियम-26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थीगण / वादीगण	बनाम	विप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण
होथाराम पुत्र जैमुराम जाति मेघवाल निवासी स्वामी का गांव तहसील शिव बाड़मेर।	ईस्माईल खान पुत्र रिडमल खां वगैरा (13)	

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन संख्या 199/2025  
अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
05.05.2025	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के अधिवक्ता श्री ईश्वरसिंह भाटी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पेश किया गया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेन्ट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जबाब आईन्दा दिनांक 20.5.25 को पेश हो।	8653-8665 14/5/2025
30.5.25	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठारीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्टवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 16.6.25 को पेश हो।	सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)
16.6.25	पत्रावली पेश। प्रार्थी वकील 347 विप्रार्थीगण के नोटिस व डिपेन्सी रिपोर्ट पेश। जिन्हे शाफ्ट पत्रावली क्रिप्प गप्प। पत्रावली वास्ते विप्रार्थीगण का इंतजार छेत्र दिनांक 17.7.25 के पेश हो।	
17.7.25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/विप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इल्टवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 13.08.25 को पेश हो।	सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)
21.07.25	पत्रावली पेश। प्रार्थी वकील 347 पत्रावली वास्ते विप्रार्थीगण का इंतजार छेत्र दिनांक 13.08.25 के पेश हो।	सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)



21.01.26

पत्रावली जेश। प्रार्थी वकील अनुपस्थित।  
पत्रावली में प्रभावी फैली हुई प्रार्थी व  
प्रार्थी वकील को न्यायालय सत्र में  
रुक-रुककर आवाजें दी जाने के  
बावजूद कोई उपस्थित नहीं। अतः पत्रावली  
में प्रभावी फैली नहीं होने तथा  
अनुपस्थित रहने पर उक्त पत्रावली  
अदालत हाजिरी व अदालत फैली में  
खालिज की जाती है।

पत्रावली केसल शुक्रा होकर  
नम्बर नि कद होकर वाकिल दफ्तर  
हो।

सहायक कलक्टर  
दिव (बाड़मेर)